आय–व्ययक 2011–12 की मुख्य विशेषताएँ

(अ)–बजट प्राविधान व राजकोषीय संकेतकः–

- बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है।
- आय–व्ययक में कुल प्राप्तियाँ रु0 18340.95 करोड़ अनुमानित हैं, जो गत वर्ष के आय–व्ययक अनुमान रु0 14821.67 करोड़ से रु0 3519.28 करोड़ अधिक है। कुल प्राप्ति में गत वर्ष के आय–व्ययक के सापेक्ष 23.74 प्रतिशत की वृद्धि दर ली गयी है।
- वर्ष 2011–12 के बजट में कुल व्यय रु0 19366.91 करोड़ अनुमानित है, जो गत वर्ष के आय–व्ययक अनुमान रु0 15451.95 करोड़ से रु0 3914.96 करोड़ अधिक है। आयोजनागत व्यय (प्लान) में रू0 5117.38 करोड़ का प्राविधान था जिसमें 28.27 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रू0 6564.29 करोड़ का प्राविधान किया है। आयोजनेत्तर व्यय (नॉन प्लान) की मद में गत् वर्ष रू0 10334.57 करोड़ का प्राविधान किया गया था जिसमें 23.88 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इस वर्ष 12802.62 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय की मद में गत् वर्ष रू0 3455.26 करोड़ का प्राविधान किया गया था जिसे इस वर्ष बढ़ाकर रू0 5041.22 करोड़ किया गया है जो कि गत् वर्ष 45.90 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2011–12 के प्रस्तावित आय–व्ययक में रु0 309.90 करोड़ राजस्व अधिशेष (सरप्लस) होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुमानों में राजस्व अधिशेष रू0 162.10 करोड़ अनुमानित था। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम (यथा संशोधित) में निर्धारित लक्ष्य (शून्य राजस्व घाटा) के सापेक्ष अच्छा है।
- वर्ष 2011–12 के प्रस्तावित आय–व्ययक में राजकोषीय घाटा रु0 2618.23 करोड़ होने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.18 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम (यथा संशोधित) में निर्धारित किये गये लक्ष्य (3.5 प्रतिशत) से कम है।
- राज्य के कर राजस्व की प्राप्ति की मद में वर्ष 2010–11 में रू0 6368.90 करोड़ का प्राविधान किया गया था जिसको वर्ष 2011–12 में बढ़ाकर रू0 7715.05 करोड़ किया गया है। जो गत् वर्ष से 21.14 प्रतिशत अधिक है। इसके अन्तर्गत वैट की मद में 23.26 प्रतिशत, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की मद में 13.67 प्रतिशत, मोटर वाहन की मद में 10.75 प्रतिशत, आबकारी की मद में 5.93 प्रतिशत की वृद्धि दर गत वर्ष के सापेक्ष ली गयी है।
- अवस्थापना सेवाओं के अन्तर्गत आम जनता के लिए सड़कों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रू0 1001.84 करोड़ की व्यवस्था की गई थी जिसको वर्ष 2011–12 में बढ़ाकर रू0 1374.47 करोड़ किया गया है। राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010–11 में रू0 378.77 करोड़ की व्यवस्था की गई थी जिसको इस वर्ष बढ़ाकर रू0 521.97 करोड़ किया गया है। औद्योगिक विकास हेतु में वर्ष 2010–11 में रू0

53.79 करोड़ की व्यवस्था की गई थी जिसको वर्ष 2011–12 में बढ़ाकर रू0 90.06 करोड़ किया गया है। कृषकों के उत्थान के लिए सिंचन क्षमता की वृद्धि करने हेतु वर्ष 2010–11 में प्राविधानित रू0 751.45 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में रू0 835.88 करोड़ किया गया है। ऊर्जा विकास हेतु वर्ष 2010–11 में रू0 467.77 करोड़ की व्यवस्था थी जिसको वर्ष 2011–12 में बढ़ाकर रू0 526.56 करोड़ किया गया है।

- सामाजिक सेवाओं की मद में रू0 7056.77 करोड़ के व्यय अनुमान लिया गया है जो गत वर्ष के आय–व्ययक अनुमान से 26.26 प्रतिशत अधिक है। शिक्षा के उत्थान के वर्ष 2010–11 में रू0 3020.58 करोड़ की व्यवस्था की गई थी जिसे वर्ष 2011–12 बढ़ाकर रू0 3607.28 करोड़ किया गया है जो 19.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रदेश की जनता को चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010–11 में रू0 828.22 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, जिसे बढ़ाते हुए वर्ष 2011–12 में रू0 964.99 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो 16.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण योजनाऐं संचालित करते हुए वर्ष 2010–11 में रू0 619. 56 करोड़ की व्यवस्था की गई थी जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2011–12 में रू0 878. 01 करोड़ किया गया है। यह गत् वर्ष से 41.72 प्रतिशत अधिक है।
- समाज के कमजोर वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, अनुसूचित जाति उप योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रु0 658.96 करोड़ का प्राविधान किया गया था जिसकों वर्ष 2011–12 में बढ़ा कर रु0 873.17 करोड़ किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रु0 197.25 करोड़ का प्राविधान किया गया था जिसकों वर्ष 2011–12 में बढ़ा कर रु0 227.71 करोड़ किया गया है।
- महिलाओं के सशाक्तिकरण के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 में जैण्डर बजटिंग प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत 18 विभागों की योजनाओं के लिए रु0 333.00 करोड़ की व्यवस्था थी जिसे 2010–11 में 26 विभागों में विस्तारित करते हुए रू 1417.75 करोड़ की व्यवस्था की गई थी तथा वर्ष 2011–12 में रु0 1851.55 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जो गत वर्ष के आय–व्ययक अनुमानों से लगभग रू0 433.80 करोड़ अधिक है।

(ब)– कर सुधार तथा कर दरों का युक्तिकरण (रेशनलाईजेशन):–

- जहाँ गत् वर्ष अचल सम्पत्ति के क्रय–विक्रय पर देय 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत किया गया था, वहीं प्रदेशवासियों को पुनः राहत देते हुए राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा।
- जहाँ गत् वर्ष महिलाओं को 20 लाख तक की अचल सम्पत्ति क्रय पर 25 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई थी, उसे आगे भी जारी रखा जायेगा तथा विकलांग–जनों को अचल सम्पत्ति के क्रय पर रु0 5 लाख तक मूल्य की सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

- जहाँ पूर्व में आम जन से सम्बंधित आटा, मैदा, सूजी, सहित अनेक जनसामान्य के प्रयोग में लाने वाली वस्तुओं को कर मुक्त किया गया था, उसे आगे भी जारी रखा जायेगा था तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हस्त–निर्मित कपड़ा धोने के साबुन को वैट से पूर्णतया कर मुक्त किया जायेगा।
- गैर वातानुकूलित छोटे रेस्टोरेंट पर वैट की दर 13.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की जायेगी।
- टैक्स्टाइल वेस्ट का व्यापार करने वाले करदाताओं को 1–01–2005 से 27–04–2010 तक की अवधि में 8.5 प्रतिशत की अतिरिक्त कर देयता को कतिपय शर्तों के अधीन माफ किया जायेगा।
- सिनेमा के टिकटों पर वर्तमान कर दर को 25 से 50 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।
- स्टाम्प ड्यूटी के अपवंचन को रोकने तथा जन सुविधा की दृष्टि से राज्य के चार जनपदों यथा– हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में ई–स्टाम्पिंग की सुविधा आरम्भ की जायेगी।

(स)– अन्य महत्वपूर्ण योजनाएंः–

- उत्तराखण्ड राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा पेट न सोये, यह सुनिश्चित करने हेतु अटल आदर्श खाद्यान्न योजना आरम्भ की गयी है। इसके लिए बजट में रू0 295 करोड़ की व्यवथा की गई है।
- महिला कार्मिकों को बच्चों की देख–रेख के लिए सेवाकाल में दो वर्ष के सवेतन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- अटल आदर्श गाँवों में अटल मिनी सचिवालय की स्थापना की जा रही है।
- भरसार में औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद तथा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद की इण्टर परीक्षा में 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप दिया जायेगा।
- राज्य के छात्र–छात्राओं को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था जनपद स्तर पर की जायेगी।
- विगत 50 वर्षों से चिर–प्रतीक्षित देहरादून स्थित चकराता रोड को शीघ्र चौड़ा किया जायेगा।
- हिमालयी राज्यों में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जायेगी।
- शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दृष्टि से विकास खण्ड स्तर पर आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
- बेसिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय का गठन एवं विद्यालयी शिक्षा हेतु महानिदेशालय स्थापित किया जायेगा।
- रोगियों के परिजनों के ठहरने के लिए दिल्ली की तर्ज पर राज्य के शीर्ष चिकित्सालयों के निकट रैनबसेरों की व्यवस्था की जायेगी।

- जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तहसील एवं जिला मुख्यालयों में गुणवत्ता जाँच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जायेंगी।
- दूरस्थ एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों को एक लाख सोलर लालटेन उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य में रू0 25 करोड़ की लागत से हिमालयन संस्कृति केन्द्र तथा रू0 20 करोड़ की लागत से हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की जायेगी।
- भारतीय संस्कृति की प्राचीन परम्पराओं एवं धरोहरों को प्रदर्शित करने के लिए भारत दर्शन केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
- आयुर्वेद की जन्मस्थली उत्तराखण्ड राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी तथा आयुष महानिदेशालय स्थापित किया जायेगा।
- आयुर्वेद को सशक्त करने की दृष्टि से आयुर्वेद विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण किया जायेगा।
- चिकित्सा शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देने हेतु चिकित्सा महानिदेशालय के अन्तर्गत पृथक चिकित्सा शिक्षा इकाई का गठन किया जायेगा।
- देहरादून में रू0 30 करोड़ की लागत से मातृ एवं शिशु कल्याण चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी तथा देहरादून में नये राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।
- राज्य रक्त संचरण परिषद का गठन किया जायेगा।
- राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा की दृष्टि से दुर्गम क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों में हवाई एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा रहा है।
- भगवानपुर हरिद्वार में यूनानी मेडिकल कालेज तथा श्रीनगर, पौड़ी में होम्योपैथि मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी।
- नर्सिंग शिक्षा का विस्तार करने हेतु जनपद टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में नर्सिंग कालेज स्थापित किये जायेंगे।
- जहाँ 108 आपातकालीन सेवा का राज्य में निरन्तर विस्तार किया जा रहा है, वहीं दूरभाष पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने हेतु 104 सेवा प्रारम्भ की जायेगी।
- उत्तराखण्ड परिवहन निगम को नई बसों के क्रय हेतु रू0 20 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जायेगा।

———